प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बाँदा।

सेवा में,

मा0 रजिस्टार,
राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली।

पत्रांक : 532 /खनिज–30, बाँदा

दिनांक : फरवरी 20 ,2024

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–747/2023 राज कुमार बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.01.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उर्पयुक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–747/2023 राज कुमार बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.01.2024 का मुख्य अंश निम्नवत है :–

"2. Submission of learned Counsel for the Applicant is that no District Survey Report (DSR) has been prepared and that earlier on 23.11.2017 the DSR was prepared for the area for the period of five years, which has expired in the year 2022. Without preparing fresh DSR, the advertisement and e-auction is being done. He has further submitted that e-auction is being done without adhering to the provisions as prescribed in Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020. He has also submitted that the District Magistrate has added replenishment quantity of minerals with the quantity at pre-monsoon level and advertised the area for mining which is in 2 violation of judgment of the Tribunal in the matter of Sudarsan Das vs State of West Bengal in OA No. 173/2018.

3. The plea taken in the OA raises substantial issue relating to compliance of the provisions of the Scheduled enactments.

4. Let notice be issued to the Respondents. Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service on or before the next date of hearing.

5. The Respondent No. 7, District Magistrate, Banda is directed to file the report at least one week before the next date of hearing by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

6. List on 26.02.2024."

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–125 दिनांक 15.01.2016 के परिशिष्ट 10 के अन्तिम पैरा में उल्लिखित है कि :– "जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरणीय अनापत्ति रिपोर्टो को तैयार करने और परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए आवेदन का आधार होगी। रिपोर्ट को प्रत्येक पांच वर्ष में अद्यतन किया जाएगा।"

यहां यह उल्लेखनीय है कि जनपद बाँदा हेतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रथम बार वर्ष 2017 को तत्समय सक्षम प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार समस्त कार्यावाही के उपरान्त अनुमोदित/तैयार किया गया है एवं समय–समय पर नियमानुसार नये/अन्य क्षेत्रों को सक्षम स्तर से समस्त औपचारिकताओं के उपरान्त सम्मलित किया गया है।

–2–

(2)

जनपद बाँदा हेतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अन्तिम बार दिनांक 15.02.2023 को 02 क्षेत्रों को सम्मलित किया गया है। अर्थात जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट समय–समय पर अद्यतन हुआ है।

तदनुसार कार्यालय द्वारा रिक्त खनन क्षेत्रों को परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है, जो नियमानुसार है।

अतः उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

जिलाधिकारी
बाँदा।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

जिलाधिकारी
बाँदा।

प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0
खनिज भवन, लखनऊ

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बांदा ।

संख्या 1786 /एम0–228/2017(खनन नीति)–डी0एस0आर0 दिनांकः 15/02/2023

विषयः जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में संशोधन/संयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या–पत्रांक 492/खनिज–30, बांदा दिनांकः 25.01.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद– बांदा स्थित बालू/मोरम के 02 क्षेत्र को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में संयोजित किये जाने का अनुरोध किया गया है। जनपद बांदा से प्राप्त प्रस्ताव के साथ सम्बन्धित तहसील की आख्या, वन अनापत्ति एवं सिचाई विभाग की आख्या का राज्य स्तर पर गठित तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 30.01.2023 में परीक्षण किया गया। प्रस्तावों पर परीक्षणोपरान्त तकनीकी समिति की संस्तुति के आधार पर भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासकीय पत्र 482/86–2023 , दिनांक 14.02.2023 के द्वारा जनपद– बांदा के बालू/मोरम के 02 क्षेत्रो को 05 वर्ष की अवधि हेतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में संयोजित किये जाने हेतु निम्न तालिका अनुसार शासन द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।

क्र0 सं0	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	अक्षांश–देशान्तर आकार के अनुसार	
1.	पैलानी	बरेहटा खादर	133 व 134 (खण्ड–1)	15.654	A. 25°42'54.36"N	A. 80°22'6.57"E
					B. 25°42'53.50"N	B. 80°22'11.74"E
					C. 25°42'42.63"N	C. 80°22'7.78"E
					D. 25°42'41.55"N	D. 80°22'6.72"E
					E. 25°42'39.87"N	E. 80°22'6.59"E
					F. 25°42'22.85"N	F. 80°21'59.82"E
					G. 25°41'53.62"N	G. 80°21'57.98"E
					H. 25°41'53.76"N	H. 80°21'55.50"E
					I. 25°42'19.87"N	I. 80°21'56.80"E
					J. 25°42'29.34"N	J. 80°21'59.54"E
					K. 25°42'39.55"N	K. 80°22'4.18"E
					L. 25°42'40.60"N	L. 80°22'4.18"E
					M. 25°42'41.27"N	M. 80°22'4.56"E
					N. 25°42'41.30"N	N. 80°22'5.05"E

2.	पैलानी	बरेहटा खादर	122/7 व 111/2 (खण्ड–2)	13.00	A. 25°43'18.68"N B. 25°43'18.65"N C.25°43'14.96"N D. 25°43'3.16"N E. 25°42'53.50"N F. 25°42'54.36"N G. 25°43'7.64"N H. 25°43'8.92"N I. 25°43'12.68"N	A. 80°21'55.89"E B. 80°22'1.42"E C. 80°22'5.80"E D. 80°22'11.46"E E. 80°22'11.74"E F. 80°22'6.57"E G. 80°22'4.22"E H. 80°22'1.70"E I. 80°21'58.44"E

नदी तल स्थित बालू/मोरम आदि उपखनिजो के दीर्घकालिक खनन पट्टो के संचालन से पूर्व Replenishment Study कराया जाना होगा उपरोक्त के दृष्टिगत प्रश्नगत क्षेत्र को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की जाती है। समिति द्वारा यह भी मत स्थिर किया गया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त क्षेत्रों के सम्मिलित हो जाने के उपरान्त जनपद स्तर पर खनिज अनुसन्धान एवं विकास तथा क्षेत्र की संभावना के आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गाटाओं के अंश का निर्धारण कर, उनका भूमि सम्बन्धी स्वामित्व का विधिवत् परीक्षण कर ऑक्शन की कार्यवाही की जाये।

अतः अपेक्षित है कि जनपद स्तर से खनन क्षेत्रों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही सम्पन्न कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–**यथोपरि।**

भवदीय,

(विपिन कुमार जैन)
अपर निदेशक

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त चित्रकूट मण्डल, चित्रकूट।
2. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज
3. खान अधिकारी,बांदा ।

(विपिन कुमार जैन)
अपर निदेशक